

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 71 /2022

उनवान

- 1-2 कैलाश चन्द्र, गोपाल लाल पिता लादूलाल महाजन निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा  
3- मु. राधा पत्नी लादुलाल महाजन निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा

- प्रर्थागण

बनाम

- 1-2 कैलाश चन्द्र, गापाल लाल पिता लादुलाल महाजन निवासी करमड़ास  
3- नन्दा पिता बालु गुर्जर निवासी करमड़ास  
4-5 देबी, प्रभु पिता भोजा गुर्जर निवासी करमड़ास

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री अनिल कुमार शर्मा  
अधिवक्ता प्रर्थागण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 19.09.2022

प्रर्थागण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम ढीकोला पटवार हल्का करमड़ास तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 401 रकबा 0.14 है०, 402 रकबा 0.31 है०, 403 रकबा 0.10 है०, 404 रकबा 0.08 है०, 405 रकबा 0.20 है०, 406 रकबा 0.07 है०, 408 रकबा 0.03 है०, 409 रकबा 0.01 है० कुल किता 9 रकबा 1.78 हैक्टेयर की प्रर्थागण सहखातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रर्थागण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण सं० बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गयी। एवं विपक्षीगण सं० के विरुद्ध अभिभाषक प्रर्थागण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गयी। बहस अभिभाषक प्रर्थागण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम ढीकोला पटवार हल्का करमड़ास संवत् 2074 से 2077 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रर्थागण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर प्रर्थागण अपनी उक्त आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रर्थागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर मौजा ढीकोला में स्थित प्रर्थागण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् में से आराजी नम्बर 404 रकबा 0.08 है०, 406 रकबा 0.07 है० रकबा 0.15 है० है० किस्म गेमु० रास्ता होने से उक्त आराजीयात् को छोड़कर शेष किता 7 रकबा 1.63 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिशन फीस 1000/- रुपये कायम किये जाते है, जो प्रर्थागण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।



प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

(सुनिता यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलक्टर  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलक्टर  
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.